न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—345/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/345)

1. श्री हबीब पुत्र स्व0 श्री भंवर
2. श्री कूका उर्फ सलीम पुत्र स्व0 श्री भंवर
   दोनों जाति चीता, निवासीगण ग्राम चौरसियावास तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।
2. नगर सुधार न्यास(अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर) जरिए सचिव
3. श्रीमती सुवा पत्नी स्व0 श्री घीसा
4. श्रीमती पताशी पत्नी स्व0 श्री बिरदा
5. श्री मौला पुत्र स्व0 श्री बिरदा
6. श्री सेठू पुत्र स्व0 श्री बिरदा
7. श्री जावेद खान पुत्र स्व0 श्री शौकत
8. श्री साद मोहम्मद पुत्र स्व0 श्री शौकत
9. श्रीमती सहीदा पुत्री स्व0 श्री शौकत
   समस्त जाति चीता, निवासीगण सेरेमनी पब्लिक स्कूल के पास, माकडवाली रोड अजमेर।
10. पंचायत समिति श्रीनगर जरिए प्रधान, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 27.07.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर राजस्व वाद संख्या 62/2003

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री उमेश कुमार अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—09.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 62/2003 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 62/2003

में पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 10 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता श्री भंवर का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनकी देखभाल व परवरिश सबसे बड़े भाई श्री शौकत द्वारा ही की गई तथा श्री शौकत द्वारा ही उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जाता रहा, जिनका स्वर्गवास दिनांक 25.02.2017 को हो जाने के कारण उनके द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं हुआ, इस कारण निर्धारित समयावधि में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हुआ। प्रार्थीगण के बडे भाई एवं परिवार के मुखिया श्री शौकत का स्वर्गवास दिनांक 25.02.2017 को हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण प्रार्थीगण रोजगारवश व आजीविका हेतु अहमदाबाद चले गये, तथा निरन्तर अपने रोजगार में व्यस्त रहे। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया गया। मार्च, 2020 में कोरोना महामारी के कारण रोजगार बन्द हो जाने से प्रार्थीगण पुनः अपने निवास स्थान ग्राम चौरसियावास आ गये तथा कोरोनाकाल समाप्त हो जाने के पश्चात छोटी–मोटी मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहे है, जिस दौरान प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के एकपक्षीय एवं गैरकानूनी आदेश दिनांक 27.07.2017 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.10.2022 को हुई, जब प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण के बारें में जानकारी चाही गई, जिस पर दिनांक 04.10.2022 को प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 06.10.2022 को प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने के पश्चात अविलम्ब फीस एवं खर्चे की व्यवस्था करते हुए यह अपील जानकारी की तिथि दिनांक 01.10.2022 से समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति है, जिनको विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों की जानकारी नहीं है, साथ ही प्रार्थीगण के अपील में वर्णित अचल सम्पत्ति में हक–अधिकार व आधिपत्य निहित करते है, ऐसी स्थिति में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का उचित, पर्याप्त एवं सद्भाविक कारण होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मूल अपील में वर्णित विधिक आधारों, दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, कानून, न्याय व समानता प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान होकर प्रकरण गुणावगुण पर सुदृढ़ होने तथा अचल सम्पत्ति में हक–अधिकार व आधिपत्य निहित होने से देरी को क्षमा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के तहत प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा मूल प्रार्थना–पत्र मय सभी दस्तावेजों के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये, जिसका अप्रार्थी/रेस्पोडेंट सं. 01 व 02 द्वारा विस्तृत जवाब भी मय दस्तावेज किया जा चुका था, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रार्थना–पत्र संख्या 62/2003 में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा आदेश दिनांक 27.07.2017 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित किये जाने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण के प्रकरण में वर्णित अचल सम्पत्ति में विधिक हक–अधिकार व आधिपत्य निहित करते है, ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी आधार पर प्रार्थीगण/अपीलान्ट को अचल सम्पत्ति में निहित हक अधिकार व आधिपत्य से वंचित नहीं किया जा सकता है, ऐसी

स्थिति में प्रार्थीगण/अपीलान्ट के अचल सम्पत्ति में निहित हक–अधिकार व आधिपत्य का गुणावगुण पर निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस कारण भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। यहां यह भी निवेदन किया जाना उचित एवं पर्याप्त होगा कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रार्थना–पत्र संख्या 62/2003 के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना मानकर आदेश दिनांक 09.02.2004 द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की गई, जो कि अंतिम आदेश दिनांक 27.07.2017 तक प्रभावी रही है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रार्थना–पत्र संख्या 62/2003 को गुणावगुण पर निर्णित नही कर आदेश दिनांक 27.07.2017 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी निवेदन किया जाना उचित व पर्याप्त होगा कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 62/2003 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 को निरस्त कर अपीलान्ट/प्रार्थीगण को गुणावगुण पर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण/अपीलान्ट अचल सम्पत्ति में निहित विधिक हक–अधिकार व आधिपत्य से वंचित हो जावेंगे, जो न्याय की कतई मंशा नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 62/2003 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादी/अपीलांट द्वारा मूल वाद में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायायल द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद खारिज किए जाने से उक्त प्रार्थना पत्र भी सारहीन हो जाने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2017 को वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूल वाद को साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं किए जाने के अभाव में दिनांक 27.07.2017 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। मूल वाद खारिज किए जाने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी सारहीन होने से खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट को अनेक अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी जब प्रकरण में साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किए गए तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया। वादी/अपीलांट का मूल वाद खारिज किए जाने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी सारहीन होने से खारिज किया गया।

चूंकि मूल वाद से संबंधित अपील 2000/– रूपए की कोस्ट पर आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलांट/वादी को न्यायहित में एक समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित की गई है। अतः वर्तमान प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। प्रकरण से संबंधित मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिए जाते हैं कि मूल वाद को पुनः नम्बर पर दर्ज करने के उपरांत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को भी पुनः दर्ज कर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर